न्याय विभाग
DEPARTMENT OF
JUSTICE

# घरेलू हिंसा

# घरेलू हिंसा

हैदराबाद में रहने वाली माधुरी (परिवर्तित नाम) 5 माह की प्रेग्नेंट हैं। एक दिन वो अपनी बहन से फोन पर बात कर रहीं थीं तो पति ने उनका फोन छुड़ा लिया और चेक करने लगा कि किससे बात कर रही है। फिर माधुरी से फोन ले ही लिया गया। पहले उसके साथ मारपीट होती थी, लेकिन उतनी नहीं जितनी लॉकडाउन में हुई।

पति अच्छी कंपनी में नौकरी करता है, लेकिन पत्नी पर शक करता है। इसी कारण उससे फोन छीन लिया। मारपीट करने लगा। एक दिन माधुरी ने ये पूरी बात चिट्ठी में लिखकर घर के सामने वाली मेडिकल स्टोर पर दे दी। जिसमें उसकी बहन का नंबर भी लिखा था। मेडिकल स्टोर ओनर ने बहन के नंबर पर कॉल किया और पूरी बात बताई।

बहन ने पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस अगले दिन उसके घर पहुंची लेकिन ससुराल वालों के दबाव के आगे माधुरी कुछ नहीं कह पाई और उसने इस बात से भी इनकार कर दिया कि उसने कोई शिकायत करवाई है। माधुरी की बहन ने महिलाओं के लिए काम करने वाले एनजीओ Invisible Scars को पूरी बात बताई, ताकि उनकी बहन की काउंसलिंग हो सके।

घरेलू हिंसा एक सामाजिक मुद्दा है क्योंकि हिंसा के कारण एक महिला अपने नागरिक अधिकारों और इंसान होने के अधिकार से वंचित हो जाती है।

सिर्फ इसलिए कि यह घर में है, इसे व्यक्तिगत मामला नहीं माना जा सकता, यह हिंसा घर में असमानता का प्रतीक है। यह हिंसा महिला की पहचान, प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, समानता, क्षमता, मर्यादा, सम्मान को प्रभावित करती है।

कोई भी आचरण या व्यवहार जो किसी महिला या घर के बच्चों को चोट पहुँचाता है या नुकसान पहुँचाता है या चोट पहुँचाता है, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए खतरा है। घरेलू हिंसा की परिभाषा में वे सभी क्रियाएं और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो शारीरिक, मौखिक, दृश्य या यौन शोषण का अनुभव दर्द और चोट के रूप में परिवार, विशेष रूप से बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं में भय, हमले, यातना के रूप में करती हैं और इनके माध्यम से प्रयास करती हैं। उन्हें नीचा और छोटा महसूस कराने के प्रयास कराया जाता है।

### घरेलू हिंसा के कारण : –

1. दहेज की मांग करना।
2. स्त्री को आत्मनिर्भर बनने से रोकना।
3. पुरुषवादी मानसिकता जो जिसे महिलाएं हीन समझती हैं।
4. हिंसा को विवादों को निपटाने के तरीके के रूप में देखना।
5. महिलाओं की निरक्षरता, जिसके कारण उन्हें कानून की जानकारी नहीं है।
6. हिंसा के खिलाफ प्रतिक्रिया की निष्क्रियता

भी घरेलू हिंसा को बढ़ावा देती है।

7. गरीबी के कारण आवश्यकता पूरी न होने पर परिवार में झगड़े होने लगते हैं।
8. महिला उत्पीड़न का एक प्रमुख कारण पुरुषों पर महिलाओं की आर्थिक निर्भरता है।
9. निम्न सामाजिक स्थिति के कारण महिलाओं को भी घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है।
10. गलत लत जैसे– शराब पीने, नशा करने के कारण लोग घर में बेवजह मारपीट भी करते हैं।

## घरेलू हिंसा के प्रकार : –

### शारीरिक उत्पीडन –

1. महिला के शरीर को चोट पहुँचाना जैसे मारना, पीटना आदि।
2. कोई भी ऐसा कार्य जिससे महिला की जान को खतरा हो।
3. कोई भी ऐसा कार्य जो महिला के स्वास्थ्य को प्रभावित करता हो जैसे पेट भर खाना न देना, बीमारी में सही इलाज न करना आदि।
4. स्त्री पर किसी प्रकार से आक्रमण करना आदि।

### यौनिक उत्पीड़न –

1. एक महिला की इज्जत को ठेस पहुंचाना और उसके साथ बदसलूकी करना।
2. यौन हमला जैसे बलात्कार या बलात्कार का प्रयास।

3. जबरन यौन संपर्क या इसी तरह कोई गतिविधि।
4. जबरन शादी या बाल विवाह।
5. परिवार नियोजन विधियों के उपयोग को रोकना।
6. दर्दनाक यौन क्रिया के लिए मजबूर करना, और यौन संबंधों से वंचित करना, आदि।

**भावनात्मक उत्पीड़न –**

1. किसी महिला को किसी भी कारण से गाली–गलौज देना, प्रताड़ित करना।
2. अकेला रखना और शक करना।
3. संतान न होने या केवल लड़कियों को जन्म देने के लिए गाली देना और अपमान करना।

4. किसी महिला या उसके किसी भी रिश्तेदार को दहेज या कोई अन्य महंगी वस्तु प्राप्त करने के लिए प्रताड़ित करना, तंग करना।
5. बच्चों को पितृत्व के अधिकारों से वंचित करना।
6. सार्वजनिक रूप से या निजी तौर पर महिला को अपमानित करना और उसके हर काम में दोष निकालना आदि।

### आर्थिक उत्पीड़न –

1. एक महिला को साझा घरेलू सामान जैसे पंखे, रेडियो, अलमारी आदि का उपयोग करने से रोकना।
2. किसी भी तरह से महिला को उस धन या संपत्ति से हटाना, छीनना या दूर करने का प्रयास करना जिस पर महिला का कानूनी अधिकार है।
3. महिलाओं को काम करने से रोकना।

### अन्य घरेलू हिंसा –

1. महिला या उसके किसी रिश्तेदार या दोस्त / किसी सहयोगी को धमकाने।
2. किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ धमकी देना या दुर्व्यवहार करना जो पीड़ित महिला के लाभ हित के बारे में सोचता है या जो किसी भी रूप में पीड़िता की सहायता या सहायता कर रहा है।

## घरेलू हिंसा के प्रभाव : –

### व्यक्तिगत प्रभाव –

शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और व्यक्तिगत प्रभाव।

### पारिवारिक प्रभाव –

इस हिंसा का सीधा असर महिला के काम, निर्णय लेने के अधिकार, परिवार और बच्चों में आपसी संबंधों पर भी देखा जा सकता है।

### संस्थागत–प्रतिमानात्मक प्रभाव –

इसके कारण दहेज हत्या, हत्या, आत्महत्या में वृद्धि हुई है। कभी–कभी वेश्यावृत्ति की प्रवृत्ति भी इसी वजह से देखी गई है।

### अप्रत्यक्ष प्रभाव –

घरेलू हिंसा महिलाओं की सार्वजनिक भागीदारी में बाधा डालती है। इससे महिलाओं की कार्यक्षमता कम होती है। वह डरी हुई हैं। मानसिक रोगी बन जाता है, जो कभी–कभी पागलपन तक पहुँच जाता है।

### घरेलू हिंसा (डीवी) अधिनियम 2005

वर्ष 2005 तक घरेलू हिंसा की शिकार महिला के लिए उपलब्ध उपचार सीमित थे। महिलाओं को तलाक की डिक्री के लिए या तो सिविल कोर्ट जाना पड़ता था या आईपीसी की धारा 498–ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए आपराधिक अदालत में मुकदमा चलाना पड़ता था। दोनों कार्यवाहियों में, पीड़ित को कोई आपातकालीन राहत/राहत उपलब्ध नहीं है/हैं। साथ ही, विवाह के बाहर के रिश्तों को भी मान्यता नहीं दी गई। परिस्थितियों के इस सेट ने यह सुनिश्चित किया कि अधिकांश महिलाएं अपनी पसंद से नहीं बल्कि मजबूरी के कारण चुपचाप पीड़ा सहना पसंद करती हैं। अधिनियम, 2005 का

अधिनियमन इस देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक मील का पत्थर है। वास्तव में, डीवी अधिनियम को लागू करने का उद्देश्य एक ऐसे उपाय का प्रावधान करना था जो शिकायतकर्ता यानी पीड़ित व्यक्ति के नागरिक अधिकारों का एक समामेलन हो। इरादा महिलाओं को किसी भी प्रकार की हिंसा से बचाना था, विशेष रूप से परिवार के भीतर होने वाली घटना, क्योंकि नागरिक कानून इस घटना को पूरी तरह से संबोधित नहीं करता है। इसे दंड संहिता, 1860 की धारा 498–ए के तहत अपराध माना जाता है। कानून बनाने का उद्देश्य महिलाओं को घरेलू हिंसा का शिकार होने से बचाने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नागरिक कानून में एक उपाय प्रदान करना था। समाज में घरेलू हिंसा. यही कारण है कि अधिनियम की योजना यह प्रावधान करती है कि प्रथम दृष्टया, पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर मजिस्ट्रेट द्वारा जो आदेश पारित किया जाएगा, वह नागरिक प्रकृति का होगा और यदि उक्त आदेश का उल्लंघन किया जाता है, यह आपराधिकता का चरित्र ग्रहण करता है। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि एक पीड़ित व्यक्ति घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कर सकता है।

## घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के उद्देश्य

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 का उद्देश्य निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करना है –

1. यह पहचानने और निर्धारित करने के लिए कि घरेलू हिंसा का प्रत्येक कार्य कानून द्वारा गैरकानूनी और दंडनीय है।

2. ऐसे मामलों में घरेलू हिंसा के शिकार हुए लोगों को संरक्षण प्रदान करना।
3. पीड़ित व्यक्ति को समय पर, लागत प्रभावी और सुविधाजनक तरीके से न्याय प्रदान करना।
4. घरेलू हिंसा को रोकना और ऐसी हिंसा होने पर पर्याप्त कदम उठाना।
5. घरेलू हिंसा के पीड़ितों के लिए पर्याप्त कार्यक्रम और एजेंडा लागू करना और ऐसे पीड़ितों की वसूली की गारंटी देना।
6. घरेलू हिंसा के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना।
7. कठोर दंड को लागू करने के लिए और हिंसा के ऐसे जघन्य (हिनियस) कार्यों के लिए दोषियों को जवाबदेह ठहराना।
8. घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों (स्टैंडर्ड) के अनुसार कानून बनाना और उसका संचालन करना।

## घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के आवश्यक प्रावधान

### घरेलू हिंसा की रिपोर्ट :–

कोई भी व्यक्ति जो जानता है कि किसी महिला पर घरेलू हिंसा हो रही है या हो रही है, ऐसी घटना की सूचना (संबंधित अधिकारी को) दे सकता है। अगर वह व्यक्ति सही जगह पर सूचना देता है तो उसे भी रिपोर्ट माना जाएगा। इस मामले में मुखबिर की कोई नागरिक या आपराधिक जिम्मेदारी नहीं होगी।

सरकार द्वारा इस कानून के तहत पीड़ित महिला को राहत देने और कानून का प्रभावी ढंग से पालन कराने के लिए राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करेगी, जिनके स्पष्ट कर्तव्य और अधिकार होंगे। इसके लिए नियुक्त अधिकारियों का कर्तव्य होगा कि वह अन्याय और हिंसा के खिलाफ लड़ाई में पीड़ित महिला का सहयोग करें और उसकी रक्षा करें। सरकार निम्नलिखित अधिकारियों और संस्थानों की पहचान कर सकती है।

### पुलिस अधिकारी –

हिंसा की घटना की सूचना उस थाने के पुलिस अधिकारी को दी जा सकती है जहां हिंसा की घटना हुई है, या जहां पीड़ित महिला रहती है, या जहां प्रतिवादी रहता है। उसी जानकारी को रिपोर्ट माना जाएगा।

### संरक्षण अधिकारी –

राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन कार्य करने के लिए प्रत्येक जिले में कुछ अधिकारी नियुक्त करेगी, जो संरक्षण अधिकारी कहलायेंगे। जहां तक संभव हो, सुरक्षा अधिकारी महिलाएं होंगी। इन सुरक्षा अधिकारियों को हिंसा की घटना/संभावना के बारे में भी सूचित किया जा सकता है।

### सेवा देने वाली संस्था –

कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत कोई भी गैर–सरकारी संस्था, जो इस कानून के तहत काम करने के लिए राज्य सरकार के साथ पंजीकृत है, सेवा प्रदाता संस्था कहलाएगी। सेवा प्रदाता संस्था के भी कुछ अधिकार और कर्तव्य होंगे जिसके तहत वह कार्य करेगी। ऐसी सेवा प्रदाता संस्था को भी हिंसा की घटना की संभावना की सूचना दी जा सकती है।

### मजिस्ट्रेट –

जिस थाना क्षेत्र में हिंसा की घटना हुई है, उसके स्थानीय मजिस्ट्रेट या

पीड़ित महिला या प्रतिवादी निवास करते हैं, उन्हें भी हिंसा की घटना की सूचना / रिपोर्ट दी जा सकती है।

## संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति

संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। राज्य के आकार और आवश्यकता के आधार पर संरक्षण अधिकारियों की संख्या एक जिले से दूसरे जिले में भिन्न हो सकती है। संरक्षण अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों और कर्तव्यों को अधिनियम की पुष्टि में निर्धारित किया गया है। जहां तक संभव हो संरक्षण अधिकारी महिलाएं होनी चाहिए और उनके पास अपेक्षित योग्यता और अनुभव होना चाहिए जैसा कि अधिनियम के तहत निर्धारित किया गया है।

## संरक्षण अधिकारियों की शक्तियां और कार्य

**संरक्षण अधिकारियों की शक्तियों और कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :**

1. अधिनियम के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए मजिस्ट्रेट की सहायता करना।

2. घरेलू हिंसा की ऐसी कोई घटना की जानकारी प्राप्त होने के बाद मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा की घटना की रिपोर्ट करना और इसकी प्रतियां (कॉपी) घटना पर अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिसडिक्शन) वाले पुलिस थाने के प्रभारी (इन चार्ज) पुलिस अधिकारी को भी अग्रेषित (फॉरवर्ड) करना चाहिए।
3. यदि पीड़ित व्यक्ति संरक्षणत्मक आदेश जारी करने के लिए राहत का दावा करता है तो मजिस्ट्रेट को निर्धारित आदेश में आवेदन करना।
4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीड़ित व्यक्ति को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।
5. मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र के भीतर एक स्थानीय क्षेत्र में कानूनी सहायता या परामर्श, आश्रय गृह और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने वाले सभी सेवा प्रदाताओं (सर्विस प्रोवाइडर) की विस्तृत सूची बनाए रखना।
6. पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण करने के लिए, यदि उसे कोई शारीरिक चोट लगी है और ऐसी रिपोर्ट निर्धारित तरीके से मजिस्ट्रेट और अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन को अग्रेषित करना।
7. पीड़िता के लिए,

यदि आवश्यक हो, तो एक सुरक्षित उपलब्ध आश्रय गृह खोजन और उसके आवास का विवरण निर्धारित तरीके से मजिस्ट्रेट और अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन को भेजना।

8. यह सुनिश्चित करना कि इस अधिनियम के तहत पीड़ितों को मौद्रिक राहत के आदेश का अनुपालन किया जाता है।

## सेवाप्रदाताओं की शक्तियां और कार्य

अधिनियम की धारा 10 सेवा प्रदाताओं के कार्यों और कर्तव्यों को निर्धारित करती है। सेवा प्रदाताओं को अधिनियम में सोसायटी पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत किसी भी स्वैच्छिक संघ या कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका उद्देश्य कानूनी सहायता, चिकित्सक सहायता, वित्तीय सहायता या अन्य सहायता प्रदान करके महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना है। सेवा प्रदाताओं की शक्तियों और कर्तव्यों का उल्लेख नीचे किया गया है।

1. एक सेवा प्रदाता के पास घरेलू हिंसा की किसी भी घटना को रिकॉर्ड करने और उस मजिस्ट्रेट या संरक्षण अधिकारी को अग्रेषित

करने का अधिकार होता है जिसके अधिकार क्षेत्र में घरेलू हिंसा की घटना हुई थी।

2. सेवा प्रदाता को पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सकीय जांच करवानी चाहिए और ऐसी रिपोर्ट संरक्षण अधिकारी, मजिस्ट्रेट और स्थानीय सीमा के भीतर पुलिस स्टेशन, जहां घरेलू हिंसा हुई थी, को अग्रेषित करना चाहिए।
3. सेवा प्रदाताओं की यह भी जिम्मेदारी है कि वे पीड़ित को आश्रय गृह प्रदान करें यदि उन्हें एक आश्रय गृह की आवश्यकता है और पीड़ित के दर्ज होने की रिपोर्ट अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन को अग्रेषित करें।

## पुलिस अधिकारियों और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य और कार्य

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 5 पुलिस अधिकारियों और मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों और कार्यों को निर्धारित करती है। इसमें कहा गया है कि जब किसी पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होती है, तो उसे घरेलू हिंसा की

घटना की सूचना दी जाती है या वह घरेलू हिंसा की घटना स्थल पर मौजूद होता है तो उन्हें निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए :

1. उन्हें संरक्षण के आदेश, आर्थिक राहत के आदेश, हिरासत के आदेश, निवास के आदेश, मुआवजे के आदेश आदि के माध्यम से राहत प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के अपने अधिकारों के बारे में पीड़िता को सूचित करना आवश्यक है।
2. उन्हें पीड़ित को सेवा प्रदाताओं की सेवाओं की पहुंच के बारे में सूचित करना चाहिए।
3. पीड़ित को संरक्षण अधिकारियों की सेवाओं और कर्तव्यों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।
4. उन्हें पीड़िता को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत मुफ्त कानूनी सेवाओं के अधिकार और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498। के तहत शिकायत दर्ज करने के उसके अधिकार के बारे में भी सूचित करना चाहिए।

## आश्रय गृहों और चिकित्सा सुविधाओं के कर्तव्य

यदि घरेलू हिंसा के किसी पीड़ित को आश्रय गृह की आवश्यकता है तो अधिनियम की धारा 6 के तहत आश्रय गृह का प्रभारी व्यक्ति आश्रय गृह में घरेलू हिंसा के पीड़ितों को उपयुक्त आश्रय प्रदान करेगा।

इसके अलावा अधिनियम की धारा 7 में कहा गया है कि यदि किसी पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है तो चिकित्सा सुविधा का प्रभारी व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति को ऐसी सहायता प्रदान करेगा।

## सरकार के कर्तव्य

यह अधिनियम आगे सरकार के कर्तव्यों और कार्यों को बताते हुए कुछ प्रावधानों को निर्धारित करता है। ऐसे कर्तव्यों में शामिल हैं;

1. इस अधिनियम के प्रावधानों का सार्वजनिक मीडिया के माध्यम से

व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए ताकि हमारे देश के नागरिक ऐसे प्रावधानों से अच्छी तरह अवगत हों।

2. केंद्र और राज्य सरकार दोनों के अधिकारियों को जैसे पुलिस अधिकारियों और न्यायिक सेवाओं के सदस्यों को अधिनियम के प्रावधानों के बारे में समय–समय पर संवेदीकरण (सेंसटाइजेशन) और जागरूकता प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) दिया जाना चाहिए।
3. केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इस अधिनियम के तहत महिलाओं को सेवाएं प्रदान करने से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों के प्रोटोकॉल का पूरी लगन से पालन किया जाए।

## मजिस्ट्रेट को आवेदन

पीड़ित व्यक्ति, उस इलाके के संरक्षण अधिकारी या पीड़ित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति मजिस्ट्रेट को आवेदन कर घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत एक या एक से अधिक राहत का दावा कर सकता है। आवेदन में अधिनियम द्वारा निर्धारित आवश्यक सभी विवरण शामिल होने चाहिए।

मजिस्ट्रेट सुनवाई की तारीख तय करेगा जो आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 3 दिन से अधिक नहीं होगी। इसके अलावा, मजिस्ट्रेट को अधिनियम की धारा 12 के तहत किए गए सभी आवेदनों को उसकी पहली सुनवाई की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर निपटाने का भी लक्ष्य रखना चाहिए। इसके अलावा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 मजिस्ट्रेट को निम्नलिखित आदेश और राहत देने के लिए अधिकृत (ऑथराइज) करता है।

- **मौद्रिक राहत**

आवेदन का निपटारा करते समय मजिस्ट्रेट प्रतिवादी को घरेलू हिंसा के परिणामस्वरूप पीड़ित व्यक्ति और पीड़ित व्यक्ति के किसी भी बच्चे को हुए खर्च और नुकसान को पूरा करने के लिए मौद्रिक राहत का भुगतान करने के लिए कह सकता है और इस तरह की राहत में पीड़ित की कमाई का नुकसान, चिकित्सा खर्च, किसी संपत्ति के नुकसान के कारण होने वाली हानि, पीड़ित व्यक्ति और उसके बच्चों का भरण–पोषण, जैसा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत आवश्यक है, शामिल हो सकता है।

1. दी गई आर्थिक राहत उचित और पर्याप्त होनी चाहिए और पीड़ित व्यक्ति के जीवन स्तर के अनुसार होनी चाहिए।
2. अधिनियम, मजिस्ट्रेट को पीड़ित व्यक्ति द्वारा अपेक्षित उचित एकमुश्त (लम सम) भुगतान या भरण–पोषण का मासिक भुगतान करने के लिए अधिकृत करता है।

3. मजिस्ट्रेट आर्थिक राहत के आदेश की प्रति, अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस थाने के प्रभारी को भेजेगा।

प्रतिवादी को पीड़ित को मौद्रिक मुआवजे का भुगतान निर्धारित समय के भीतर करना होगा और यदि वे ऐसा करने में विफल रहता है तो मजिस्ट्रेट प्रतिवादी के नियोक्ता (एंप्लॉयर) या देनदार को सीधे पीड़ित को भुगतान करने का या प्रतिवादी की मजदूरी, वेतन, या ऋण का एक हिस्सा अदालत में जमा करने का निर्देश दे सकते है और उस राशि को मौद्रिक राहत के पूरा होने के अंत में समायोजित (एडजस्ट) किया जा सकता है।

अधिनियम की धारा 22 यह भी निर्धारित करती है कि प्रतिवादी मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित मानसिक यातना (टॉर्चर) और भावनात्मक संकट सहित किसी भी क्षति या चोट के लिए पीड़ित को मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

- **हिरासत के आदेश**

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 21 के तहत, जब मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा से संबंधित एक आवेदन प्राप्त होता है, तो उसके पास किसी भी बच्चे या बच्चों की हिरासत को पीड़ित या पीड़ित की ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति को निर्देशित करने का अधिकार है।

- **संरक्षण का आदेश**

यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट है कि घरेलू हिंसा हुई है तो वे प्रतिवादी को घरेलू हिंसा या घरेलू हिंसा के किसी भी कार्य को करने से रोकने के लिए पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में एक संरक्षण आदेश पारित कर सकते हैं।

मजिस्ट्रेट प्रतिवादी को पीड़ित व्यक्ति से संपर्क करने, पीड़ित व्यक्ति के रोजगार के स्थान पर प्रवेश करने या पीड़ित व्यक्ति के आश्रितों या रिश्तेदारों को हिंसा करने से भी रोक सकते है।

- **निवास का आदेश**

अधिनियम की धारा 19 के तहत यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट है कि घरेलू हिंसा हुई है तो मजिस्ट्रेट प्रतिवादी को, साझा घर में पीड़ित व्यक्ति के कब्जे को परेशान करने से रोकने के लिए या प्रतिवादी या उसके किसी रिश्तेदार को साझा घर में प्रवेश करने से रोकने के लिए और प्रतिवादी को साझा घर में अपने अधिकारों को अस्वीकार करने से रोकने के लिए, साझा घर से उसको निकलने के लिए आदेश पारित कर सकता है।

- **अधिकार क्षेत्र और प्रक्रिया**

प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या क्षेत्र के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत को इस अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई करने का अधिकार है। हालांकि, अधिनियम की धारा 27 निम्नलिखित कारकों के बारे में बताती है;

1. पीड़ित व्यक्ति उस क्षेत्र में स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से रहता है या व्यवसाय करता है।
2. प्रतिवादी क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर निवास करता है, व्यवसाय करता है या कार्यरत (एंप्लॉयड) है।
3. सक्षम न्यायालय संरक्षण आदेश या कोई अन्य आदेश, जैसा भी मामला हो, देने के लिए उत्तरदायी होगा।

अधिनियम की धारा 28 में कहा गया है कि इस अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाली सभी कार्यवाही आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों द्वारा शासित होगी।

## घरेलू हिंसा अधिनियम IPC कानून की धारा 498ए से अलग

**घरेलू हिंसा अधिनियम (Domestic Violence Act, 2005), IPC की धारा 498ए** से बिल्कुल अलग है क्योंकि यह पीड़ित के सरंक्षण को निश्चित करने का कानून है। जो दोषी को सजा नहीं देता परन्तु अगर वह दोषी इस अधिनियम के अन्तर्गत दिए गए आदेशों की अवमानना करता है तो पारिवारिक मामलों को अर्द्ध आपराधिक मामलों की संज्ञा देते हुए आगे की प्रकिया में दोषी पक्ष को गिरफ्तार किया जा सकता है या वसूली की जा सकती है। और अगर पीड़ित महिला भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक मुकदमे की याचिका दायर कर दे और दोष साबित हो जाए तो प्रतिवादी को अधिकतम 3 साल की जेल हो सकती है।

## यदि आपके साथ घरेलू दुर्व्यवहार हो रहा है तो क्या करें?

यह सच है कि अपमानजनक रिश्ते को पीछे छोड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक सुरक्षा योजना और कुछ सकारात्मक उपाय आपको घरेलू हिंसा से तब तक बचने में मदद कर सकते हैं जब तक आपको इसके लिए मदद नहीं मिलती। कुछ उपाय यहां नीचे दिए गए हैं :–

- एक सुरक्षित दोस्त या दोस्त खोजें, साथ ही घूमने के लिए सुरक्षित स्थान भी खोजें। एक कोड वर्ड बनाएं जिसका उपयोग आप अपने दोस्तों, परिवार या पड़ोसियों के साथ कर सकें ताकि उन्हें पता चल सके कि आप दुर्व्यवहार करने वाले को बताए बिना खतरे में हैं। एक छुपी हुई जगह पर सहमत हों जहाँ यदि संभव हो तो वे आपको उठा सकें।
- हर समय अपने पास एक बैकअप फ़ोन रखें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है, तो अपने घरेलू फ़ोन या साझा सेल फ़ोन का उपयोग न करें। यह संभव है कि आपका साथी नंबरों को ट्रैक करने में सक्षम होगा। यदि आपके पास पहले से प्रीपेड सेलफोन नहीं है तो आप प्रीपेड सेलफोन प्राप्त कर सकते हैं। अपने फ़ोन में दोस्तों, रिश्तेदारों और आश्रयदाताओं के फ़ोन नंबर सहेजें। भले ही आपका

जीवनसाथी आपका फोन छीन ले, फिर भी आप अपने प्रियजनों से बात कर पाएंगे या शरण पा सकेंगे।

- यदि आपको तेजी से आगे बढ़ना है, तो उन सभी चीजों की एक सूची बनाएं जिनकी आपको आवश्यकता होगी। सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ और पैसा सर्वोच्च प्राथमिकता होने की संभावना है। इन सामानों को इकट्ठा करें और उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर रखें जहां आपका जीवनसाथी उन्हें न पा सके। यदि आप इस समय खतरे में

हैं, तो उनके बिना ही निकल जायें। यदि आपका साथी आपकी नियमित चाबियाँ ले लेता है तो यदि आप वाहन की चाबियों का एक अतिरिक्त सेट छिपा सकते हैं, तो आप जा सकेंगे।

- अपने डॉक्टर से पूछें कि आपको या आपके बच्चों को अतिरिक्त दवाएँ, चश्मा, श्रवण यंत्र, या अन्य चिकित्सीय रूप से आवश्यक सामान कैसे मिल सकते हैं जिनकी आवश्यकता आपको अपना घर छोड़ने पर होगी जहाँ आप एक अपमानजनक साथी के साथ रहते थे।संयम आदेश प्राप्त करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए, अपने स्थानीय महिला थाने या घरेलू हिंसा संरक्षण अधिकारी से संपर्क करें। यदि आपको कानूनी सहायता की आवश्यकता है,

लेकिन इसके लिए भुगतान करने के लिए वित्तीय साधन नहीं हैं, तो आपका स्थानीय संरक्षण अधिकारी या पुलिस की महिलाओं के खिलाफ अपराध इकाई एक वकील ढूंढने में आपकी सहायता कर सकती है जो मुफ्त में काम करेगा।

- जैसे ही आप जानकारी एकत्र करते हैं और योजना बनाते हैं, अपनी इंटरनेट सुरक्षा को ध्यान में रखें। सामग्री डाउनलोड करने के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय कंप्यूटर या किसी मित्र के कंप्यूटर या सेलफोन का उपयोग करें। अन्यथा, आपका जीवनसाथी आपकी योजनाओं पर नज़र रख सकता है। यदि आप अपना रिश्ता छोड़ते हैं, तो दुर्व्यवहार या हिंसा का कोई भी सबूत अपने साथ ले जाने का प्रयास करें। इसमें आपका जीवनसाथी आपको धमकी भरे नोट भेज सकता है। उनमें पुलिस और मेडिकल रिपोर्ट की प्रतियां भी हो सकती हैं। इसमें आपकी चोटों या संपत्ति के नुकसान की तस्वीरें हो सकती हैं। बाहरी थंब ड्राइव पर, सभी कागज़ और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ों की प्रतियां सहेजें।

## वन स्टॉप सेंटर

हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही छत के नीचे कई प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की जानी है। इन सेवाओं में चिकित्सा सहायता, परिवहन और पुलिस से निपटने में सुविधा, कानूनी सहायता, मनोसामाजिक परामर्श और यदि आवश्यक हो तो अस्थायी आश्रय शामिल हैं।

| Sl. No. | District Name | Sakhi-One Stop Centre Address | Contact Details |
|---|---|---|---|
| 1. | Patna | One Stop Centre, Chajjubagh Executive Bungalow, Patna District, Bihar | 9304264570 |
| 2. | Begusarai | One Stop Centre, Collectorate Campus, Above DM Begusarai office, Begusarai City, Begusarai District, Bihar | 9771468005 |
| 3. | Gaya | Collectorate, Gaya District, Gaya-823001, Bihar | 9771468011 |
| 4. | Araria | One Stop Centre, District Women Empowerment Office, Near-SDO Officer, Collectorate Araria-854311 | 9771468001 |
| 5. | Saharsa | One Stop Centre Collectorate campus, Saharsa-852201 | 9771468027 |
| 6. | Sitamarhi | One Stop Centre, Collectorate | 9771468030 |
| 7. | Jehanabad | One Stop Centre, Room No11, Ground Floor,Collectorate Campus, Jehanabad-804408 | 9771468014 |
| 8. | Bhojpur | One Stop Centre, KG Road, Dr. RungtaGali, Madhubagh, Nawada (Lalatoli), Arah(Bhojpur) Pin-802301 | 9771468007 |

## घरेलू हिंसा के लिए कानूनी सहायता

जैसा कि आप पहले ही उन कानूनों के बारे में पढ़ चुके हैं जिन्हें घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करने पर लागू किया जा सकता है और वे कानून किससे संबंधित हैं, अब भारत में घरेलू हिंसा के लिए कानूनी मदद से संबंधित कुछ तकनीकीताओं और प्रश्नों को जानना आवश्यक है।

| Name of the Organization | Contact No. |
|---|---|
| **Women Helpline ( All India ) – Women In Distress:** | 1091 |
| Women Help Line Domestic Abuse | 181 |
| Police | 100 |
| National Commission For Women (NCW) (Domestic violence 24×7 helpline for Sexual Violence and harassment ) | 7827170170. |
| National Commission For Women (NCW) | 011-26942369, 26944754. |
| Bihar Women Helpline | 18003456247 / 0612-2320047 / 2214318. |
| Bihar Women Commission (1 South, Bailey Road, Patna, Bihar) | 0612- 2507800 |
| LAW Foundation, Patna | 9801040773 |

# बिहार लोक प्रशासन
# एवं
# ग्रामीण विकास संस्थान

वाल्मी परिसर, फुलवारी शरीफ, पटना

टेली : – 91-612-2452585

फैक्स : – 91- 612-2452586

ईमेल : vidhimitra.bipard@gmail.com

वेबसाईट : www.bipard.bihar.gov.in